संचिका संख्या-ए0/नोट-27/15......6291............/जे0,

निबंधित

विधि विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेगूसराय।

पटना, दिनांक-24/9/15

विषयः- **नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूल में वापस लौटाने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि आपके न्यायमंडल में कार्यरत अधिवक्ताओं से नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों में से निम्नांकित आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण रहने के कारण मूल में लौटाया जाता है। प्रत्येक आवेदन पत्र में त्रुटि से संबंधित सूची संलग्न है। इस संबंध में लौटाये जा रहे आवेदन पत्रों को संबंधित अधिवक्ताओं को भेजते/प्राप्त कराते हुए इन्हें कृपया निदेशित किया जाय कि वे संबंधित त्रुटियों को दूर कर आपके माध्यम से आवेदन पत्र को आपके कार्यालय में प्राप्ति तिथि से 15 **दिन के अन्दर** त्रुटि सुधार कर आपके कार्यालय में प्राप्त करायें जिसे आपके कार्यालय द्वारा शीघ्र विधि विभाग को समय सीमा के अन्दर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाय अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा तथा बाद में प्राप्त किसी आपत्ति/अनुरोध पर कोई विचार नही किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यक सूचना विधि विभाग के वेबसाईट-www.law.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनु0:- संलग्न सूची एवं आवेदन पत्र।

विश्वासभाजन

ह0/- 24/9/15

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

25/9/15

D:\Anil\Notary List\Notary\D.J. Pracup-28.08.2015 Docx

जिला–बेगूसराय त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के आवेदक की सूची

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि	त्रुटि
1	2	3	4
1.	श्री उमेश प्रसाद, पिता–श्री हरेकृष्ण महतो, ग्रा0+पो0–रानी शकरपुरा, थाना–खगड़िया, जिला–खगड़िया	18.07.2013	राष्ट्रीकृत बैंक के प्रबंधक का हस्ताक्षर/मुहर नहीं है।